कार्यालय असि.रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, सागर संभाग,सागर
पीटीसी ग्राउण्ड के पास, गोपालगंज, सागर

क्रमांक / सू.का.अधि–346 / 85/25 सागर दिनांक 22/04/2025
रजिस्टर्ड

प्रति,

एड. शंकरलाल साहू
पता –श्री राम कॉलोनी गोपालगंज सागर
जिला सागर (म.प्र.)

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी बाबत।
संदर्भः–कार्यालय को प्राप्त आवेदन दिनांक 11.04.2025

...

उक्त विषय में संदर्भित आवेदन पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत AVANIDHARA SOCIAL FOUNDATION CHHATARPUR 88/5 SHIVAJI WARD NO 01 (A) NOWGONG TEHSIL NOWGONG DISTRICT CHHATARPUR पं.क.15368 / 25 दिनांक 07.04.2025 के प्रमाण पत्र व ज्ञापन–नियमावली की नकल चाही गई है। उक्त समिति के प्रमाण पत्र व ज्ञापन–नियमावली के 09 पेज की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 09 पेज ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय असि.रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाऐं, सागर संभाग, सागर

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी
निरीक्षक/आडीटर फर्म्स एवं संस्थाऐं सागर संभाग सागर

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्य प्रदेश शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक **06/12/03/15368/25**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **"AVANIDHARA SOCIAL FOUNDATION CHHATARPUR"**,सोसायटी जो **"88/5 SHIVAJI WARD NO 01 (A) NOWGONG, TEHSIL NOWGONG, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.) PIN CODE 471201"** तहसील **नौगांव** जिला छतरपुर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख **07 अप्रैल 2025** को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

Signature Not Verified
Signed by: Assistant Registrar
on 07-04-2025 16:54:53

दिनांक 07 अप्रैल 2025

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी
निरीक्षक/आडीटर ... संस्थाएं सागर संभाग सागर

Note : This is a Digitally Signed document On 07/04/2025 04:54 PM Server Name : YAMUNA

प्रारूप-1

(नियम 3 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

आवेदन क्रमांक : S5340309897419022025 | अनुमोदन दिनांक : 10 Mar 2025

1	सोसायटी का नाम AVANIDHARA SOCIAL FOUNDATION CHHATARPUR होगा।
2	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 88/5 SHIVAJI WARD NO 01 (A) NOWGONG, TEHSIL NOWGONG, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.) PIN CODE 471201 471201 तहसील Nagaon जिला Chhatarpur मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9589089156 ईमेल आईडी earthcarefoundationsociety@gmail.com
3	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1 विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये

2 बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।

3 सामाजिक कल्याण के सम्प्रवर्तन के लिये।

4 महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना।

5 ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं का संचालन करना।

6 युवाओं तथा महिलाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु केरियर काउंन्सिलिंग एवं गाइडेन्स सेवा प्रदान करना।

7 ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।

8 कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।

9 महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटराईज्ड फैशन, ड्रेस, इंटीरियर एवं टेक्सटाईल डिजाईनिंग सिलाई का प्रशिक्षण देना एवं प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।

10 स्थापत्य कला हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।

11 विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

12 महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

13 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन करना।

14 सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को जन-जन तक पहुंचाना एवं कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना

15 बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।

16 राजनैतिक, नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

17 शारीरिक, परंपरागत योग बालक-बालिकाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना।

18 वनस्पति एवं कृषि विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

19 केन्द्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन करवाना तथा प्रशिक्षण आयोजित करना तथा समाज के सभी वर्गों की जानकारी प्रदान करना।

20 लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु योजनाओं का संचालन करना एवं आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना व उसका प्रबंध संचालन करना।

21 राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन।

22 विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत कराना।

23 तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

24 व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी सेवाएं प्रदान करने में सहयोग करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

25 विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

26 राजनैतिक, नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

27 सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।

28 स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।

29 उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।

30 समाज में होने वाली सामाजिक बुराईयों को दूर करना एवं समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनका सर्वांगीण विकास करना।

31 राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण, संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधि
निरीक्षक/उपपंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें सागर संभाग

	[illegible]ओं, बच्चों, वृद्धों, असहाय, ग्रामीणों, झुग्गी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, विकलांगों, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरवर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सर्वांगीण विकास करना।
	समाज के बौद्धिक एवं नैतिक विकास हेतु वाचनालय, पुस्तकालय तथा पुस्तकालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
34	आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दूरवर्ती शिक्षा संचार तथा पत्राचार आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागी बनना तथा नई खोज को बढ़ावा देना।
35	वैदिक पाठशाला का संचालन करना एवं वेदों का प्रचार-प्रसार करना।
36	विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
37	परंपरागत शिल्पी एवं बुनकरों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना।
38	हाथ करघा उद्योग द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओ का प्रचार-प्रसार करना एवं हाथ करघा उद्योग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना।
39	संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग के वर्णित प्रयोजनो की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण देना।
40	ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित माल, जिसमें खादी तथा ग्राम उद्योग भी सम्मिलित है, के प्रचार-प्रसार का प्रयास करना।
41	हथकरघा एवं हस्तशिल्प, रंगाई छपाई, खादी, कुटीर उद्योगो को बढावा देना।
42	वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति
43	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण, कृषि मंत्रालय, नगरीय प्रशासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
44	ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।
45	ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना।
46	शौचालय बनवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
47	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार-प्रसार करना एवं विवाह हेतु निःशुल्क परिचय सम्मेलन आयोजित करना।
48	ऊर्जा के क्षेत्र व जल संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
49	बाल आश्रम तथा भिक्षावृत्ति की रोकथाम व विकलांग, मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
50	महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु तथा सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रयास करना।
51	ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।
52	व्यायाम, विद्या की प्रोन्नति के लिये |
53	विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
54	शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा रूझान विशेपत: प्रौढ़ शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
55	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
56	कृषि, ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु नई तकनीकी का विकास एवं तत्संबंधी विकास एवं प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
57	समाज के समग्र विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जन संरक्षण, सिंचाई, भूमि सुधार प्रकृति संपदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, खाद संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के तहत जागरूकता लाना।
58	औपधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

4.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साक्षी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिपद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी
निरीक्षक/आडीटर [illegible] सागर संभाग सागर

अनुक्रमांक (1)	पिता/ पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/ आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	[illegible] शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम (7)	हस्ताक्षर (8)
1	SHUBHRA SINGH / ANKUR SINGH	H NO. 154/1, WARD NO. 8 NAUGAON, CHHATARPUR, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	15/07/1991	9425144739	गृहणी	अध्यक्ष	Signature Not Verified Signed by: Adhyaksh on 02-04-2025 18:49:06
2	SHILPI TOMAR / DEVENDRA SINGH	H NO.06, SISODIYA HOUSE SISODIYA COLONY GUNA, GUNA, GUN, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	26/12/1981	6265388701	गृहणी	उपाध्यक्ष	Signature Not Verified Signed by: UpAdhyaksh on 02-04-2025 18:50:48
3	ANSHU SINGH / AVANI MOHAN	H.NO 88/5, SHIVAJI WARD NO. 01 NOWGONG, NAUGAON, CHHATARPUR, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	24/06/1982	9589089156	समाजसेविका	सचिव	Signature Not Verified Signed by: Sachiv on 02-04-2025 18:53:41
4	SHIVEE RAJA / ABHISHEK SINGH	H.N. DV-67, SHIVAJI WARD NO 1 #40;B#41;, NOWGONG TEHSHIL NOWGONG, N, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	01/07/1994	8770129617	गृहणी	कोषाध्यक्ष	Signature Not Verified Signed by: kosha Adhyaksha on 02-04-2025 18:59:20
5	SONAM TOMAR / PUSHPRAJ SINGH	H NO. 09, CHIRWARI KARATHA CHHATARPUR, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	10/10/1998	7049240708	गृहणी	संयुक्त सचिव	Signature Not Verified Signed by: sanyukt sachiv on 02-04-2025 19:03:19
6	REENA SHIVHARE / RAMKUMAR SHIVHARE	H. NO. 13, AGRA, AGRA, NANDGINBATTAN, CHHATARPUR, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	01/01/1989	9340530600	गृहणी	सदस्य	Signature Not Verified Signed by: sadasya on 02-04-2025 19:06:57
7	MEGHA RATHORE / SAURABH SINGH RATHORE	H NO.111, GOLA KA MANDIR, GOVARDHAN COLONY, GIRD, GWALIOR, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	03/10/1984	8059981583	गृहणी	सदस्य	Signature Not Verified Signed by: sadasya on 02-04-2025 19:10:06
8	RAJKUMARI YADAV / RAJU YADAV	H. NO. 11, MAJRA RAMNAGAR MAJRA RAMNAGAR KUPIYA AMRONIA BIJAW, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	01/01/1990	8839683913	गृहणी	सदस्य	Signature Not Verified Signed by: sadasya on 02-04-2025 19:14:04

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी
निरीक्षक/आडीटर फर्म्स एवं संस्थाएें सागर संभाग सागर

सोसायटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN0006159147519022025670389

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number

पहचान पत्र का क्रमांक MDCPS0619G

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card

पते का क्रमांक UBY4069951

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

Signature Not Verified
Signed by: Witness on
02-04-2025 19:19:50

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-..................................

साक्षी का नाम :- NEERJA SINGH

साक्षी का पिता/पति:- VISHWAJEET SINGH

पूर्ण पता :- WARD NO. 7, BHATT KA BANGLA NO. 15, NOWGONG, TH. NOWGONG DISTT. CHHATARPUR (M.P.) PIN CODE 471201

साक्षी का मोबाइल नंबर :- 6268899499

साक्षी का ईमेल आईडी :- neerajasingh99@gmail.com

☑ हम सत्यापित करते हैं।

सोसायटी के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु

1 ज्ञापन पत्र में निर्धारित स्थान पर समस्त निर्माणकर्ताओं एवं साक्षी के हस्ताक्षर/E-Sign यथा स्थान होना चाहिये।

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी

निरीक्षक / आडीटर फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग सागर

प्ररूप-1क
(नियम 3 देखिए)
(सोसायटी की उप-विधियां)

S5340309897419022025

1	सोसायटी का नाम AVANIDHARA SOCIAL FOUNDATION CHHATARPUR होगा। अनुमोदन दिनांक : 10 Mar 2025
2	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 88/5 SHIVAJI WARD NO 01 (A) NOWGONG, TEHSIL NOWGONG, DISTRICT CHHATARPUR (M.P.) PIN CODE 471201 471201 तहसील नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 9589089156 एवं ईमेल आईडी earthcarefoundationsociety@gmail.com
3	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होगा।
4	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1	विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये
2	बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।
3	सामाजिक कल्याण के सम्प्रवर्तन के लिये।
4	महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना।
5	ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं का संचालन करना।
6	युवाओं तथा महिलाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु केरियर काउंसिलिंग एवं गाइडेन्स सेवा प्रदान करना।
7	ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।
8	कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।
9	महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटराईज्ड फैशन, ड्रेस, इंटीरियर एवं टेक्सटाईल डिजाईनिंग सिलाई का प्रशिक्षण देना एवं प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।
10	सुथापत्य कला हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
11	विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
12	महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन करना।
14	सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को जन-जन तक पहुंचाना एवं कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना
15	बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।
16	राजनैतिक, नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
17	शारीरिक, परंपरागत योग बालक-बालिकाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना।
18	वनस्पति एवं कृषि विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
19	केन्द्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन करवाना तथा प्रशिक्षण आयोजित करना तथा समाज के सभी वर्गो की जानकारी प्रदान करना।
20	लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु योजनाओं का संचालन करना एवं आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना व उसका प्रबंध संचालन करना।
21	राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन।
22	विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत कराना।
23	तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
24	व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी सेवाएँ प्रदान करने में सहयोग करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
25	विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
26	राजनैतिक, नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
27	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
28	स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
29	उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।

सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी
फर्म्स एवं संस्थाएँ सागर संभाग सागर

...विकास करना। ... समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनका

...राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण, संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

32 महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, असहाय, ग्रामीणों, झुग्गी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, विकलांगों, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरवर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सर्वांगीण विकास करना।

33 समाज के बौद्धिक एवं नैतिक विकास हेतु वाचनालय, पुस्तकालय तथा पुस्तकालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

34 आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दूरवर्ती शिक्षा संचार तथा पत्राचार आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागी बनना तथा नई खोज को बढ़ावा देना।

35 वैदिक पाठशाला का संचालन करना एवं वेदों का प्रचार-प्रसार करना।

36 विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

37 परंपरागत शिल्पी एवं बुनकरों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना।

38 हाथ करघा उद्योग द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओ का प्रचार-प्रसार करना एवं हाथ करघा उद्योग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना।

39 संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग के वर्णित प्रयोजनो की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण देना।

40 ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित माल, जिसमें खादी तथा ग्राम उद्योग भी सम्मिलित है, के प्रचार-प्रसार का प्रयास करना।

41 हथकरघा एवं हस्तशिल्प, रंगाई छपाई, खादी, कुटीर उद्योगो को बढावा देना।

42 वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति

43 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण, कृषि मंत्रालय, नगरीय प्रशासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

44 ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।

45 ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना।

46 शौचालय बनवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।

47 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार-प्रसार करना एवं विवाह हेतु निःशुल्क परिचय सम्मेलन आयोजित करना।

48 ऊर्जा के क्षेत्र व जल संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

49 बाल आश्रम तथा भिक्षावृत्ति की रोकथाम व विकलांग, मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

50 महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु तथा सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रयास करना।

51 ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।

52 व्यायाम, विद्या की प्रोन्नति के लिये |

53 विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

54 शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा रूझान विशेषत: प्रौढ़ शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

55 सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।

56 कृषि, ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु नई तकनीकी का विकास एवं तत्संबंधी विकास एवं प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

57 समाज के समग्र विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जन संरक्षण, सिंचाई, भूमि सुधार प्रकृति संपदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, खाद संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के तहत जागरूकता लाना।

58 औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

5. सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगेः-

(क) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ख) आजीवन सदस्य वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।

(ग) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।

(घ) मानद सदस्य- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।

6. सदस्यता की करना-प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

S5340309897419022025

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधि...
.../आडीटर फर्म्स एवं संस्थाएँ सागर संभाग

... निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य है:-
... से कम नहीं होना चाहिए।
... का नागरिक होना चाहिए।
... सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो।
... चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

... सदस्यता की समाप्ति- सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-
1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर।
4. त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो।
5. कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी:-
1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर
2. रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख।
3. सदस्यता की समाप्ति की तारीख।

10. (क) साधारण सम्मिलन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।
(ख) प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-
एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना।
दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना।
तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना।
चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए।
पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना।
छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. प्रबंधकारिणी समिति का गठन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :-
(1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोपाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 3

13. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल: प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-
(क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है।
(ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना।
(ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना।
(घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना।
(ड.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं।
(च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के विना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी।
(छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णयाक मत देने का अधिकार होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. सचिव के अधिकार-
(क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना।>
(ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना।
(ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए।
(घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. कोपाध्यक्ष के अधिकार- सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. बैंक खाता- सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोपाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी
.../आडीटर फर्म्स एवं संस्थायें सागर संभाग सागर

... जाने वाली जानकारी- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 ... प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की ... अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।	
... सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के ... के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।	
	सम्पत्ति- समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
Signature Not Verified Signed by: Adhyaksh/Member on 02-04-2025 18:38:31	Signature Not Verified Signed by: Sachiv/Member on 02-04-2025 18:44:52	Signature Not Verified Signed by: kosha Adhyaksha/Member on 02-04-2025 18:47:59
अध्यक्ष / सदस्य	सचिव / सदस्य	कोषाध्यक्ष / सदस्य

सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी
निरीक्षक/आडीटर फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग सागर